कार्यालय वाहन अनुभाग
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पत्रांक–ए.एन.डी.यू.ए.टी.- 07/स्था/व्य./2024/136 **दिनांकः 19.11.2024**

नीलामी सूचना

विश्वविद्यालय वाहन सं0 यू0पी0 42 आर 1000 (एमबेसडर कार, पेट्रोल चालित) एवं यू0पी0 42 ए0बी0 9938 (बोलेरो वाहन, डीजल चालित) की अल्पकालिक खुली नीलामी दिनांक 22.11.2024 को सायं 3.00 बजे वाहन अनुभाग में निम्नलिखित शर्तों के साथ की जायेगी–

1–नीलामी में भाग लेने से पूर्व वाहनों का निरीक्षण वाहन अनुभाग में आकर किया जा सकता है।

2–नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0 10,000/–(मात्र दस हजार रू0) धरोहर धनराशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट वित्त नियंत्रक, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के पक्ष में आहरित हो, वाहन अनुभाग में अंतिम दिनांक 22.11.2024 के पूर्वान्ह 11.30 तक जमा करना होगा। जिसके उपरान्त ही किसी एक वाहन अथवा दोनों वाहनों की खुली नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेगें।

3–खुली बोली में वाहन के न्यूनतम आंकलित मूल्य से अधिक की ही धनराशि की बोली लगानी होगी, किसी भी दशा में न्यूनतम मूल्य से कम की धनराशि पर वाहन की नीलामी नहीं की जायेगी।

4–जिसके पक्ष में वाहन की नीलामी अनुमोदित हो जायेगीं उनको 10 दिनों के अन्दर पूर्ण धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट (वित्त नियंत्रक, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के पक्ष में आहरित हो) के माध्यम से धरोहर धनराशि को समायोजित कराते हुए, जमा कराना होगा।

5–जिनके पक्ष में नीलामी अनुमोदित हो जायेगीं उसके द्वारा 10 दिनों के अन्दर वाहन की पूर्ण धनराशि जमा न करने पर सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य के लिए उनको ब्लैक लिस्टिड कर दिया जायेगा।

6–सम्बधिंत को वाहन तभी दिया जायेगा जब वह, वाहन को अपने नाम पर स्थानान्तरण कराकर उनकी एक छायाप्रति वाहन अनुभाग में जमा करादेगें और साथ में वाहन स्थानान्तरण की मूल प्रति लेकर आना अनिवार्य होगा।

7–जिन व्यक्तियों/फर्मो के पक्ष में नीलामी अनुमोदित नहीं होगीं उनकी धरोहर धनराशि नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने पर मूलरूप में वापस कर दी जायेगी।

8–बोली लगाने वाले को आधारकार्ड एवं पैनकार्ड की एक–एक छायाप्रति एवं मूल प्रति लेकर आना अनिवार्य होगा।

9–विश्वविद्यालय के कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी एवं उसके पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री एवं आश्रित को प्रस्तावित नीलामी में भाग लेना अनुमन्य नहीं होगा।

प्रभारी अधिकारी
वाहन अनुभाग

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक।
3. समिति के समस्त सदस्य।
4. डा0 विशाल मेहता, सहा0 प्राध्याक
5. नोटिस बोर्ड।

19/11/2024

प्रभारी अधिकारी
वाहन अनुभाग

नीलामी निविदा सूचना

आ0न0दे0कृ0 एवं प्रौ0वि0वि0 कुमारगंज, अयोध्या में निष्प्रयोज्य एक एम्बेस्डर कार एवं एक बोलेरो वाहन की नीलामी दिनांक 22.11.2024 को अपरान्ह् 03.00 बजे मुख्य परिसर स्थित वाहन अनुभाग में की जायेगी। विस्तृत सूचना www.nduat.org पर एवं विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

19/11/2024